29.1.21	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित है। प्रकरण के संबंध में बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर सुना।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के कथन किये गये। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र में अंकित कथन, वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोष, अप्रार्थी का जवाब मय रिपोर्ट तथा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम मोड़क की भूमि खसरा नम्बर 1668 की रकबा 1.23 हे० साबिक ख० नम्बर 1345 (रकबा 61½ तथा ख०नं० 1670 रकबा 0.81 हे. साबिक 1345 रकबा x) के क्रम में नक्शे में दुरुस्ती बाबत कथन करते हुये प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का कथन है, कि 61½ भूमि ख०नं० 1345 आबादी के रूप में दर्ज थी, जिसके ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये थे जिस जगह पट्टे जारी किये गये थे वह जगह 1670 ख०नम्बर की होना चाहिये थी उसे 1668 के रूप में नक्शे में दर्शाया गया है यह सेटलमेंट की त्रुटि है नक्शा दुरुस्त फरमाया जावे। प्रा० पत्र पर जवाब सरकार प्राप्त होने पर प्र.का. किया गया। उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी क्रमशः-	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म जो ... में जा...
	जवाब कथनों में अंकित किया गया कि वर्तमान में ख.नं. 1668 राजस्व रिकार्ड के नक्शे अनुसार जहाँ दर्ज है वहाँ वर्तमान में आबादी बसी हुई है तथा दुकानें बनी हुई है ख.नं. 1670 कोटेश्वरी की भूमि है, उक्त ख.नं. को आबादी में नहीं बदला जा सकता।	
	जवाब के अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अंकित किया गया कि एक अन्य प्रकरण नि.प्र. 14/19 में ख.नं. 1670, 1661 में दि. 28.8.19 को निर्णय पारित किया जाकर खारिज दरख्वास्त आदि....	
	अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थी द्वारा भूमि विक्रय विलेख पट्टा ग्राम पंचायत मोड़क पट्टा नं. 148 दि. 31.3.91 बनाम बसंतीबाई पत्नी प्रकाश, इकरारनामा अनरजि० दि. 6.3.12 इकरारनामा नोटरी दि. 30.1.2010 द्वारा बसंतीबाई बनाम सुनील कुमार (छायाप्रतियाँ), मुख्त्यारनामा द्वारा बसंतीबाई बनाम सुनील कुमार दि० 1-2.10 (छायाप्रति), मुख्त्यारनामा अप्रमाणित एवं विक्रयपत्र अनरजि. नोटरी दि. -x- की छायाप्रति, फर्द किसान ग्राम मोड़क 2004-25 छायाप्रति, छायाप्रति नकल नक्शा मोड़क टाउन, ख.नं. 118, 119 (कुल) की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति जारी द्वारा उप पंजीयक द्वितीय कोटा, नकल जमाबंदी ग्राम मोड़क 2054-57 खाता नं. 1 की अंतिम नकल की छायाप्रति	
	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	क्रमशः

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
भूमि अवाप्ति कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा के क्रमांक LAO/LA/8-9 दि. 2.6.11 की छायाप्रति, नकल जमाबंदी ग्राम मोड़क 2069-70 (खाता) नं. 28 की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति. हस्ब नकल छायाप्रति जमाबंदी एवं जवाब पेटेकार सरकार ख. नं. 1670 की भूमि प्रार्थी से भिन्न खातेदारान के नाम पर दर्ज रिकार्ड है, जिन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी बसंतीबाई की ओर से मुख्त्यार नामे के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है, किन्तु ख.नं. 1670 व 1668 के सम्बन्ध में नक्शे में परिवर्तन करवाना चाहता है। ख.नं. 1670 या 1668 की भूमि के संबंध में प्रार्थी श्री बसंतीबाई की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करने का स्वत्व प्राप्त है? या नहीं? इस पर विचार करने बाबत हम धारा 136 L.R. Act 1956 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विवेचन किया जाना उचित पाते हुये विचार किया जाना उचित पाकर विवेचन करते है। हस्ब राजस्व अभिलेख साबिक खसरा नम्बर 1345 रकबा 0.11/2 आबादी दर्ज है उसके बाद खसरा नम्बर 1668 में वर्तमान उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी क्रमशः—	

में आबादी बनी हुई होने के प्रभाव में कथन है।

प्रार्थी खसरा नम्बर 1668 के स्थान पर 1670 कहलाना चाहता है प्रार्थी का कब्जा उक्त दोनों खसरा नम्बरों में से किस खसरा नम्बर में है? कोई तथ्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात छायाप्रतियाँ या प्रमाणित प्रति की छायाप्रति मात्र है, जिन्हें न्यायालय द्वारा साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता।

प्रकरण में एक मात्र हितबद्ध संयोजित पक्षकार प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के अनुतोष से सहमति व्यक्त करते हुये प्रतीत नहीं होकर प्रार्थना पत्र के अनुतोष से असहमति व्यक्त करते है।

प्रथम तो प्रार्थी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया कि उन्हें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वादकारण किस आधार पर प्राप्त है साथ ही साथ उन्होंने प्रकरण के अनुतोष से संबंधित उक्त के समस्त पक्षों को बतौर पक्षकार संयोजित ही नहीं किया है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमशः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तृतीय प्रार्थी यह प्रमाणित करने में असफल रहे है, कि बन्दोबस्त विभाग ने उनके हकों के विपरीत तथा नियम विरुद्ध ऐसी प्रविष्टी राजस्व अभिलेख या नक्शे में कर दी है जिससे L.R.Act 1956 की धारा 136 के तहत मुकदमा किया जा सके।	
	प्रकरण में जवाब सरकार मय मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है, कि साबिक खसरा नम्बर 1345 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा पूर्व में आबादी था, वर्तमान खसरा नम्बर 1668 भी आबादी दर्ज है, उक्त खसरा नम्बर की भूमि मौके पर भी आबादी है,	
	इस प्रकार साबिक 1345 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा हाल 1668 रकबा 1.234 भूमि के रिकार्ड में प्रार्थी का न तो पूर्व में कोई स्वत्व खाता था न ही वर्तमान में स्वत्व खाता है मौके पर खसरा नम्बर 1668 में भी प्रार्थी का कब्जा होना प्रमाणित नहीं है।	
	खसरा नम्बर 1670 पर प्रार्थी का स्वत्व प्रमाणित नहीं है, तथा खसरा नम्बर 1668 पर कब्जा प्रतीत व प्रमाणित नहीं होता।	
	प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का लोकस स्टेन्डाई भी प्रतीत नहीं होता है।	
	उपखण्ड अधिकारी	
	-क्रमशः-	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अलावा हुक्म मैं
	साथ ही साथ प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अनुतोष से हितबद्ध पक्षकार भी प्रार्थी द्वारा वांछित दुरुस्ती से सहमति व्यक्त नहीं करते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R. Act 1956 के सुसंगत प्रावधानों पर वांछित दुरुस्ती हेतु खरा नहीं उतरता है। अतः गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो रजिस्टर में नोट अंकित हो। मियाद में गणना की जाकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (देशल दान) I.A.S. ...खण्ड ... गंजमण्डी	